

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग
अधिसूचना

संख्या-वन्य प्राणी-35/2000 (खण्ड) 801/व०प०, दिनांक 20/2/2015

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित 2006) की धारा 6 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के लिए राज्य वन्य जीव बोर्ड (State Board for Wild Life) का पुनर्गठन वांछनीय है। तदनुसार उक्त प्रावधान अनुरूप "झारखण्ड राज्य वन्य जीव बोर्ड" का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है -

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड | - | अध्यक्ष |
| 2. माननीय मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड | - | उपाध्यक्ष |
| 3. विधान सभा के तीन माननीय सदस्य | | |
| (i) श्रीमती मेनका सरदार | - | सदस्य |
| (ii) श्री ताला मरांडी | - | सदस्य |
| (iii) श्री राज सिन्हा | - | सदस्य |
| 4. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, रांची। | - | सदस्य |
| 5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची। | - | पदेन सदस्य |
| 6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची। | - | पदेन सदस्य |
| 7. आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, रांची। | - | सदस्य सचिव |
| 8. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य पर्यटन विकास निगम | - | पदेन सदस्य |
| 9. आरक्षी महानिरीक्षक या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारी | - | पदेन सदस्य |
| 10. सैन्य बल के एक सदस्य जो ब्रिगेडियर से अन्यून हो तथा जिन्हे राज्य में पदस्थापित सेना प्रमुख के द्वारा नामित किया गया हो | - | पदेन सदस्य |
| 11. निदेशक, पशुपालन विभाग, झारखण्ड, रांची। | - | पदेन सदस्य |
| 12. निदेशक, मत्स्य विभाग, झारखण्ड, रांची। | - | पदेन सदस्य |
| 13. उप वन महा निदेशक-सह-निदेशक, वाईल्ड लाईफ प्रिजर्वेशन (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के द्वारा नामित। | - | पदेन सदस्य |
| 14. भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून के एक प्रतिनिधि। | - | पदेन सदस्य |
| 15. बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि। | - | पदेन सदस्य |
| 16. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि। | - | पदेन सदस्य |
| 17. विख्यात वन एवं वन्यप्राणी संरक्षणविद् एवं पर्यावरणविद् दस व्यक्ति (दो जनजातीय वर्ग के प्रतिनिधि सहित) | - | पदेन सदस्य |
| (क) अनुसूचित जनजाति के सदस्य - | | |
| 1. डा० प्रकाश उरांव, निदेशक, झारखण्ड राज्य ट्राईबल रिसर्च इंस्टिट्यूट, मोरहाबादी, रांची। | - | सदस्य |
| 2. प्रो० प्यारेलाल मुर्मू, चन्द्रपुरा, महेशपुर, जिला- पाकुड़। | - | सदस्य |

Modaypur
CEP(WL)/Admin

Ans
24/2

(ख) सामान्य श्रेणी के सदस्य -

- | | |
|--|----------------|
| 1. श्री ओ०पी० लाल, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची, सी०-186, विद्यालय मार्ग, अशोक नगर, राँची। | सदस्य
सदस्य |
| 2. श्री एम०पी० सिंह, सेवानिवृत्त, उप कुलपति, बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, 3के/1, आवासीय कॉलोनी, बरियातु, राँची। | सदस्य |
| 3. डा० के०के० नाग, सेवानिवृत्त, उप कुलपति, राँची विश्वविद्यालय, रामेश्वरम, बरियातु, राँची। | सदस्य |
| 4. डा० ए०के० सिन्हा, सेवानिवृत्त, डीन, फकेल्टी ऑफ वेटेनरी साइंस, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची। | सदस्य |
| 5. डा० एम०एच० सिद्धकी, डीन, फकेल्टी ऑफ फारेस्ट्री, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची। | सदस्य |
| 6. डा० अमर सिंह, निबंधक, निलाम्बर-पिताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, क्वार्टर न०-3206, सेक्टर-11/सी०, बोकारो-827009 | सदस्य |
| 7. डा० सुधांशु कुमार, व्याख्याता वनस्पति विज्ञान, राँची विश्वविद्यालय, जी-3, प्रशांतम अपार्टमेन्ट, न्यू नगड़ा टोली, राँची। | सदस्य |
| 8. श्री संगम लाहिरी, सेवा निवृत्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी वर्द्धमान कम्पाउण्ड, राँची। | |
| 18. स्वयं सेवी संस्थान | |
| 1. नेचर कनजरवेशन सोसाईटी, ओल्ड आई०टी०ओ०, रेडमा, डाल्टनगंज। | सदस्य |
| 2. झारखण्ड विकास समिति, डॉक्टर पाड़ा, कतरास बाजार, धनबाद। | सदस्य |
| 3. दि झारखण्ड डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर एसोसियेशन, चन्द्रपुर, महेशपुर, पाकुड़। | सदस्य |

उन सदस्यों की पदावधि जो पदेन सदस्यों से भिन्न है, तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी एवं उन्हें बोर्ड की बैठक के लिए 2,000/- रु० प्रतिदिन तथा प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों की भांति अनुमान्य यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

झारखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड का मुख्यालय राँची होगा।

यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

ज्ञापक- वन्य प्राणी-35/2000 (खण्ड) 801 / व०प०, दिनांक 20/12/2015/ सरकार के उप सचिव।
प्रतिलिपि-अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि 500 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- वन्य प्राणी-35/2000 (खण्ड) 801 / व0प0, दिनांक 20/2/2015
 प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण
 मवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
 पर्यावरण मवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-100001/महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं
 जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण मवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को
 सूचनार्थ।

ज्ञापांक- वन्य प्राणी-35/2000 (खण्ड) 801 / व0प0, दिनांक 20/2/2015
 प्रतिलिपि-मनोनीत माननीय सदस्य श्रीमती भेनका सरदार, श्री ताला मरांडी एवं श्री राज सिन्हा को
 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- वन्य प्राणी-35/2000 (खण्ड) 801 / व0प0, दिनांक 20/2/2015
 प्रतिलिपि-सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन
 संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल
 पदाधिकारी, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- वन्य प्राणी-35/2000 (खण्ड) 801 / व0प0, दिनांक 20/2/2015
 प्रतिलिपि-वित्त विभाग, झारखण्ड/समी कोणगार पदाधिकारी, झारखण्ड/विभाग के सभी
 पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।
 20/2/15
 सरकार के उप सचिव।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि: Director, JSAC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इस पत्र को
 विभागीय Website पर Upload करायेंगे।

ह0/-

मुख्य वन संरक्षक,
 प्रशासन, राँची।

ज्ञापांक: 395

दिनांक: 24.2.15

प्रतिलिपि: श्री सौरभ कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 कार्य नियोजना, झारखण्ड, राँची को वन्य प्राणी के विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

मुख्य वन संरक्षक,
 प्रशासन, राँची।